शासन
वन विभाग

//: अधिसूचना ://

क्रमांक/एफ-1/1/89/10-4 भोपाल, दिनांक 14 जून, 1989

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5085/एफ-1/2/87/10-4 दिनांक 29 जून, 1987 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के प्रशासकीय ढांचे में किये गये पुर्नगठन को निरस्त करते हुये राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल कार्यालय/का निम्नानुसार पुर्नगठन किया जाता है :-

कक्ष क्रमांक/कक्ष प्रमुख का पद नाम (1, 2)	आवंटित कार्य (3)
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन अराजपत्रित)	1. पदस्थापना 2. गोपनीय प्रतिवेदन 3. पदोन्नति 4. वरीयता सूची 5. कर्मचारी कल्याण 6. वर्दी प्रदाय
मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	1. पंचवर्षीय योजना 2. वार्षिक योजना 3. आदिवासी विकास (हितग्राही योजना) 4. वनग्राम विकास 5. वृक्षारोपण योजनायें/20 सूत्री कार्यक्रम 6. बिगड़े वनों का सुधार 7. कर्मचारी आवास निर्माण
मुख्य वन संरक्षक (~~सामाजिक वानिकी~~)	1. पड़त भूमि विकास 2. प्रदर्शन क्षेत्रों का निर्माण 3. विकेन्द्रीकृत नर्सरी

....2..

:1:	:2:	:3:
		4. एकीकृत क्षेत्रों का विकास
		5. एरिया ओरियन्टेड डेव्हलपमेंट
		6. आर०एल०ई०जी०पी०
		7. ऊर्जा के वैकल्पिक साधन
		8. पशु शिविर
		9. प्रचार प्रसार
4. मुख्य वन संरक्षक (वित्त तथा बजट)		1. समस्त गैर आयोजना बजट
		2. लोक लेखा समिति
		3. आडिट पैरा
		4. विभागीय लेखों का समायोजन
		5. विभागीय कार्यों पर वित्तीय
		6. बजट तैयार करना ।
5. मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)		1. अवैध कटाई पर नियंत्रण
		2. संचार व्यवस्था
		3. अग्नि सुरक्षा
6. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)		1. मुख्य वन उपज (लकड़ी एवं बॉस
		2. विदोहन
		3. ढुलाई
		4. विपणन
7. मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)		1. राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य का प्रशासन.
		2. वन्य प्राणी संबंधी अपराधों का नियंत्रण.
		3.
8. अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन, राजपत्रित)		1. पदस्थापना
		2. गोपनीय प्रतिवेदन
		3. पदोन्नति

:1:	:2:	:3:
		4. वरीयता सूची
		5. पेंशन
		6. कैरियर प्लानिंग
		7. प्रशिक्षण
9.	अपर मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)	1. रोकड़
		2. विधान सभा
		3. निस्तार, राहत कार्य
		4. वाहन, दूरभाष, आवास आवंटन, कार्यालयीन व्यवस्था
		5. बैठकों से संबंधित कार्य
10.	अपर मुख्य वन संरक्षक (विश्व खाद्य कार्यक्रम)	1. विश्व खाद्य कार्यक्रम का मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मानीटरिंग,
		2. विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोजेक्ट को-आर्डिनेटर के रूप में समस्त कार्य.
	अपर मुख्य वन संरक्षक (लघु वन उपज)	1. तेन्दूपत्ता
		2. राष्ट्रीकृत लघु वन उपज
		3. अराष्ट्रीयकृत
	अपर मुख्य वन संरक्षक (भू सर्वेक्षण एवं वन संरक्षण अधिनियम)	1. वन भूमि का सर्वे, सीमांकन व बन्दोबस्त
		2. वन संरक्षण अधिनियम का पालन
13.	अपर मुख्य वन संरक्षक (उद्योग तथा अन्तर्विभागीय समिति)	1. राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी खैर काष्ठ, जलाऊ लकड़ी एवं बांस के विदोहन एवं निर्वतन संबंधी कार्य.
		2. वृहद वन उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगों को वन उपज का प्रदाय संबंधी कार्य

....4...

:1:	:2:	:3 :
		3. विक्रय कर आबकारी कर एवं उपकर संबंधी समस्त कार्य
		4. अन्तर्विभागीय समिति से संबंधित समस्त प्रस्तावों को तैयार करना, बैठकों का आयोजन एवं लिये गये निर्णयों से सूचित करना ।
14. अपर मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं शिकायतें)		1. शिकायतें
		2. राज्य सतर्कता आयोग
		3. विभागीय जांच
15. अपर मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं कार्य आयोजना)		1. कार्य आयोजना
		2. प्रबंध सूचना, अभिलेख तथा

2/- उपरोक्त सभी अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय कार्यरत रहते हुये अपने-अपने कक्ष एवं विषयों के स्वतंत्र प्रभार में रहेंगे तथा कार्यों के लिये स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे ।

3/- उपरोक्त आवंटित कार्यों के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अन्य कार्य भी आवंटित किये जा सकेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(के0 जे0 एस0 भाटिया)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

...य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश,
सतपुड़ा–भवन, भोपाल–462 004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2003

आदेश क्रमांक/भाव0से0/ 368 प्रशासकीय दृष्टि से, निम्नलिखित शाखाओं को आवंटित कार्यों का पुनर्वितरण किया जाता है :–

क्र	कार्य	शाखा, जिसमें वर्तमान में कार्य आवंटित है	शाखा, जिसमें कार्य आवंटित किया जाता है
1	राजपत्रित अधिकारियों की विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण (वनक्षेत्रपाल को छोड़कर)	सतर्कता एवं शिकायत	प्रशासन राजपत्रित
2.	वनक्षेत्रपाल एवं अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों की विभागीय जांच से संबंधित प्रकरण	प्रशासन अराजपत्रित	सतर्कता एवं शिकायत
3	दैनिक वेतन भोगी से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण	सतर्कता एवं शिकायत	प्रशासन अराजपत्रित

(ए0पी0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्र0स्था0/भाव0से0/ 2805 भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल।
5. सदस्य, पर्यावरण एवं वन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
6. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।
7. मुख्य वन संरक्षक (प्रशा0अराज0), म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त कार्यों को वर्तमान में जो अमला सम्पादित कर रहा है, उसे संबंधित शाखा में स्थानान्तरित करने हेतु औपचारिक आदेश प्रसारित करें।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, म0प्र0।
9. समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय/कार्य आयोजना/उत्पादन/ अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, म0प्र0।
10. समस्त क्षेत्र संचालक एवं वन संरक्षक, राष्ट्रीय उद्यान, म0प्र0।
11. प्राचार्य, रैंजर्स कॉलेज, बालाघाट।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन संरक्षक
क्रमांक 14762
9/12/03

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रो-6-3/2001/3/एक, भोपाल, दिनांक 9.3.2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
समस्त विकासखण्ड अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी
मध्यप्रदेश.

विषय:- प्रमुख वन संरक्षक के स्थान पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - संशोधन करने बाबत् ।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र. सी-6-3/83/3/1, दिनांक 12.09.83

राज्य शासन एतद्द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्र. सी-6-3/83/3/1, दिनांक 12.09.83 के साथ संलग्न विभागाध्यक्षों की सूची के अनुक्रमांक 18 पर अंकित "प्रमुख वन संरक्षक" के स्थान पर "प्रधान मुख्य वन संरक्षक" पढ़ा जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम0के0 कर्मा)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....2

प्र.क्र. सी-6- 3 /2001/3/एक, भोपाल, दिनांक 9.3.2001

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन भोपाल,
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा भोपाल,
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर/भोपाल
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
14. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय,
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
17. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
18. कर्मचारी कल्याण संगठन की ओर अतिरिक्त प्रतियां मान्यता प्राप्त संगठनों को प्रेषित करने हेतु।

(के.एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983

क्रमांक सी/6-3/83/3/1.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के उपनियम (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य के संलग्न सूची के अनुसार विभागाध्यक्षों को उनके अधीन द्वितीय श्रेणी के राज्य सिविल पद पर कार्यरत किसी अधिकारी पर उक्त नियमों के नियम 10 के पद (एक), (दो), (तीन) तथा (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु एतद्द्वारा सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(वी. जी. निगम)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी/6-3/83/3/1 भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983

प्रतिलिपि:—

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म. प्र. (सूची संलग्न)
   को ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 की अनुसूचियों में तद्नुसार संशोधन करने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें.
3. सचिव/विशेष सचिव/ उपसचिव, सा.प्र.विभाग.

हस्ता./-
(वी. जी. निगम)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

आदेश पृ. क्र. सी/6-3/83/1(3) भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 से संबंधित

विभागाध्यक्षों की सूची

1. संचालक, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक
3. पुलिस महानिदेशक
4. कमान्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स
5. संचालक, मेडिको लीगल इन्सटीट्यूट एवं मेडिको लीगल एडवाइजर
6. कारागार महानिरीक्षक
7. संचालक, कोष एवं लेखा
8. संचालक, अल्प बचत तथा राज्य लाट्री
9. विक्रय कर आयुक्त
10. आबकारी आयुक्त
11. महानिरीक्षक, पंजीयन तथा मुद्रांक
12. नियंत्रक, नाप तौल
13. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री
14. आयुक्त, भू-अभिलेख, भू-परिमाप और बन्दोबस्त

15. परिवहन आयुक्त
16. संचालक, खेल तथा युवक कल्याण
17. संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना
18. प्रमुख वन संरक्षक
19. संचालक, उद्योग
20. संचालक, हाथ करधा
21. पंजीयक, फर्म्स तथा संस्थाएं
22. संचालक, भोमिकी तथा खनिकर्म
23. विद्युत सलाहकार तथा प्रमुख विद्युत निरीक्षक
24. संचालक, कृषि
25. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
26. संचालक, मण्डी
27. श्रम आयुक्त
28. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
29. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
30. संचालक, चिकित्सा सेवा
31. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
32. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
33. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
34. संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
35. संचालक, नगरीय प्रशासन
36. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
37. संचालक, लोक शिक्षण
38. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
39. संचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण
40. विकास आयुक्त
41. संचालक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी
42. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन
43. आदिम जाति विकास आयुक्त
44. संचालक, आदिम जाति कल्याण
45. संचालक, हरिजन विकास
46. संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण
47. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास आयोजना
48. संचालक, जनजाति तथा अनुसंधान तथा विकास संस्था
49. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई
50. पुनर्वास आयुक्त
51. संचालक, खाद्य एवं सिविल पूर्ति
52. संचालक, राजकीय अभिलेखागार
53. संचालक, पुरालेख तथा अभिलेख
54. संचालक, भाषा
55. संचालक, गजेटियर
56. संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन
57. मुख्य वास्तुविद्
58. संचालक, पर्यटन
59. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
60. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं
61. संचालक, मत्स्य उद्योग
62. दुग्धायुक्त
63. संचालक, महाविद्यालय शिक्षा
64. संचालक, तकनीकी शिक्षा.

15. परिवहन आयुक्त
16. संचालक, खेल तथा युवक कल्याण
17. संचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना
18. प्रमुख वन संरक्षक
19. संचालक, उद्योग
20. संचालक, हाथ करघा
21. पंजीयक, फर्मे तथा संस्थाएं
22. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म
23. विद्युत सलाहकार तथा प्रमुख विद्युत निरीक्षक
24. संचालक, कृषि
25. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
26. संचालक, मण्डी
27. श्रम आयुक्त
28. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
29. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं
30. संचालक, चिकित्सा सेवा
31. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
32. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
33. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
34. संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी
35. संचालक, नगरीय प्रशासन
36. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
37. संचालक, लोक शिक्षण
38. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
39. संचालक, पंचायत तथा समाज कल्याण
40. विकास आयुक्त
41. संचालक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी
42. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन
43. आदिम जाति विकास आयुक्त
44. संचालक, आदिम जाति कल्याण
45. संचालक, हरिजन विकास
46. संचालक, पिछड़ा वर्ग कल्याण
47. संचालक, आदिम जाति क्षेत्र विकास आयोजना
48. संचालक, जनजाति तथा अनुसंधान तथा विकास संस्था
49. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई
50. पुनर्वास आयुक्त
51. संचालक, खाद्य एवं सिविल पूर्ति
52. संचालक, राजकीय अभिलेखागार
53. संचालक, पुरालेख तथा अभिलेख
54. संचालक, भाषा
55. संचालक, गजेटियर
56. संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन
57. मुख्य वास्तुविद्
58. संचालक, पर्यटन
59. प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
60. संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं
61. संचालक, मत्स्य उद्योग
62. दुग्धायुक्त
63. संचालक, महाविद्यालय शिक्षा
64. संचालक, तकनीकी शिक्षा.

(156)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश

क्रमांक/प्रशा.अराज/स्थ/वि.जां.चौ/-7-7-18 भोपाल.दिनांक 7 जून–2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– वन क्षेत्रपालों पर लघु शास्ति अधिरोपित करने बाबत ।

संदर्भ :– म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी – 6 – 2 – 2001-- 3 –एक दिनांक 4मई 2001

–0–

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी – 6 -- 2 -- 2001– 3 –एक दिनांक 4मई 2001 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11मई 2001 में प्रकाशित हुई है,द्वारा वन संरक्षकों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत वन क्षेत्रपालों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के खण्ड–(एक) के अधीन लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुशासिक प्राधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है। अधिसूचना की प्रति पत्र के साथ संलग्न है । नियम 10 के खण्ड—(एक) के अधीन परिनिंदा की लघुशास्ति देने का प्रावधान है ।

उपरोक्त अधिसूचना जारी होने पर नियम–2 के खण्ड–(घ) के अनुसार वन क्षेत्रपालों के संबंध में वन संरक्षक अनुशासिक प्राधिकारी हो जाते है। अनुशासिक प्राधिकारी हो जाने के फलस्वरूप ये नियम –9 के अंतर्गत वन क्षेत्रपालों को निलंबित करने नियम 14 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी करने तथा नियम 16 के अंतर्गत लघुशास्ति से दण्डित करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करने के लिए सक्षम है । कृपया भविष्य में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

अभी तक जिन प्रकरणों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक /शासन द्वारा निलंबन ,आरोप पत्र जारी करने एवं कारण बताओं नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है, ऐसे प्रकरणों का निराकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक/शासन द्वारा ही किया जावेगा । इन प्रकरणों में निलंबन से बहाल करने का कोई भी आदेश वन संरक्षक द्वारा जारी नहीं किया जावेगा ।

इस प्राधिकार के पश्चात् वन संरक्षकों द्वारा प्रारंभ किये गये प्रकरणों में वन संरक्षक द्वारा परिनिंदा की लघुशास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी। अन्य लघुशास्ति एवं दीर्घशास्ति के योग्य प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन/अराजपत्रित) के कार्यालय को प्रस्तुत किये जावेगें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/प्रशा.अराज/स्त/ वि.जा/ 7719 भोपाल,दिनांक 7.6.01

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. / प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी) भोपाल
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक म.प्र.
3. समस्त वन संरक्षक कार्य आयोजना/संचालक राष्ट्रीय उद्यान म.प्र.
4. समस्त वन मण्डलाधिकारी म.प्र.

की ओर सहपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश

व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. वि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. -108 भोपाल 2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2001—वैशाख 21, शक 1923

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2001

क्र. सी.-6-4-2001-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, अधीक्षक, मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज को अधीक्षक कार्यालय, मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के संबंध में, उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) में यथानिर्दिष्ट लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव

भोपाल, दिनांक 2 मई 2001

क्र. सी.-6-4-2001-4-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, उक्त विधान का समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव

Bhopal, the 2nd May 2001

No. C-6-4-2001-3-I.—In pursuance of clause (a) and (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers the Superintendent, Madhya Pradesh State Garrage to impose minor penalties as specified in clause (i) to clause (iv) of rule 10 of said rules in respect of Class III and Class IV Government Servants of the office of the Superintendent Madhya Pradesh, State Garrage.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2001

क्र. सी.-6-2-2001-3-एक.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, वन संरक्षकों को, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत वन क्षेत्रपालों पर उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक) के अधीन लघुशास्ति अधिरोपित करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में सशक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2001

क्र. सी.-6-2-2001-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 4 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 4th May 2001

No. C-6-2-2001-3-I.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (2) of rule 12 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 the Governor of Madhya Pradesh hereby empowers the Conservators of Forest as the disciplinary authority to impose the minor penalty under clause (i) of rule 10 of the said rules on the Forest Rangers who are working under his administrative control.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Addl. Secy.

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2001

क्र. एफ.-1-35-2000-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पोलीटेकनिक (अध्यापन संवर्ग) संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, अनुक्रमांक एक के सामने कॉलम (6) में अंक "59" के स्थान पर अंक "62" स्थापित किये जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2001

क्र. एफ.-1-35-2000-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में क्र. एफ.-1-35-2000-बयालीस-1, दिनांक 3 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd May 2001

No. F-1-35-2000-XLII-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Technical Education, Polytechnic (Teaching Cadre) Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2000 namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, in the Schedule in Column (6) against the Serial Number I, for the figure "59" the figure "62" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. DUBEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भोपाल

कक्ष- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)

दूरभाष- 0755-2674342 (का.) 0755-2674342 (फैक्स) ई-मेल- ccfvigilance@rediffmail.com

क्रमांक/स.शि./वि.जा./3656 भोपाल, दिनांक- 16/8/11

प्रति,

1. समस्त वृत्त प्रभारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, क्षेत्रीय/कार्य आयोजना/अनुसंधान एवं विस्तार, म.प्र.
3. समस्त वन मण्डलाधिकारी, म.प्र.
4. समस्त क्षेत्र संचालक (वन्य प्राणी), म.प्र.

विषयः- वन क्षेत्रपालों को आरोप पत्र जारी करने एवं निलंबित करने के अधिकारों का मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक प्रत्यायोजन।

---00---

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक द्वारा वन क्षेत्रपालों के विरुद्ध निलंबन/आरोप पत्र/विभागीय जांच करने हेतु मुख्य वन संरक्षक की सक्षमता के संबंध में वन क्षेत्रपालों ने मान0 न्यायालयों में वाद दायर किये हैं। उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक/2242/3468/2011/10-1, दिनांक 29.7.11 से स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न है)

कृपया वन क्षेत्रपालों द्वारा उक्त के संबंध में मान0 न्यायालयों में दायर याचिकाओं को निरस्त/खारिज कराने हेतु राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश की प्रति शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः- शासन वन विभाग का परिपत्र दिनांक 29.7.11

16/8/11

(ए.के.जैन)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत)
मध्य प्रदेश, भोपाल

D:\SHYAM\Letter.doc

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 2262/3468/2011/10–1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2011

प्रति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

भोपाल (म0प्र0)

विषय :– वनक्षेत्रपालों को आरोप पत्र जारी करने एवं निलंबित करने के अधिकारों का मुख्य वन संरक्षकों एवं पदेन वन संरक्षकों प्रत्यायोजन।

–-000–-

कतिपय प्रकरणों में देखा गया है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जो पदेन वन संरक्षक भी है, के द्वारा वनक्षेत्रपालों को निलंबित करने अथवा उनके विरूद्व आरोप पत्र जारी करने के विरूद्व उनकी सक्षमता के संबंध में वनक्षेत्रपालों द्वारा न्यायालयों में वाद दायर किये जा रहे हैं एवं कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों में भी इस संबंध में भ्रम की स्थिति विद्यमान है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक सी–6–2/2001–3–एक, दिनांक 04.05.2001 के द्वारा समस्त वन संरक्षकों को म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक) के अन्तर्गत लघु शास्ति अधिरोपित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किया गया है।

3/ साथ ही म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 13(2) में प्रावधानित है कि नियम 10 के खण्ड (एक) से खण्ड (चार) तक में उल्लेखित की गयी शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिये नियमों के अधीन सक्षम कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी दीर्धशास्ति अधिरोपित करने हेतु विभागीय जॉच संस्थित करने के लिए समक्ष है, चाहे वह दीर्घशास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम नहीं हो।

F:\Vijay\...2009 (Vijay).doc

5427
5-8-2011

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सतर्कता–शिकायत
भोपाल म.प्र.

U.O. No. PA/CCF-VIGI 786
Date 5/8/11

4/ इस प्रकार सभी मुख्य वन संरक्षक, जो पदेन वन संरक्षक भी है, उनके अधीन कार्यरत वनक्षेत्रपालों के विरूद्व आरोप पत्र जारी करने तथा विभागीय जॉच संस्थित करने हेतु सक्षम हो जाते है।

5/ इसी प्रकार म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी उनके नियंत्रणाधीन शासकीय सेवक को निलंबित कर सकेगा।

6/ इस प्रकार सभी मुख्य वन संरक्षक, जो पदेन वन संरक्षक भी है, उनके अधीन कार्यरत वनक्षेत्रपालों को निलंबित करने हेतु समक्ष है।

(शशि खत्री)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।

पृ.क्रमांक 2242 /3468 /2011/10–1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 2011

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी/कार्य आयोजना म0प्र0
2. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल म0प्र0
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास, भोपाल म0प्र0
4. समस्त वृत्त प्रभारी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, क्षेत्रीय/कार्य आयोजना /अनुसंधान एवं विस्तार म0प्र0
6. समस्त वनमण्डलाधिकारी म0प्र0
7. समस्त क्षेत्र संचालक, वन्यप्राणी म0प्र0
8. मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित वनमण्डलाधिकारी को भेजकर अवगत कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग।

नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966

पहला भाग - सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम, 1966 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वचन — इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) शासकीय सेवक के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है—

(एक) वह प्राधिकारी, जो कि उस सेवा में, जिसका कि शासकीय सेवक तत्समय सदस्य हो या सेवा के उस ग्रेड में, जिसमें कि शासकीय सेवक तत्समय सम्मिलित हो, नियुक्तियां करने के लिये सशक्त हो; या

(दो) वह प्राधिकारी, जो कि उस पद पर, जिसको कि शासकीय सेवक तत्समय धारण करता हो, नियुक्तियां करने के लिये सशक्त हो; या

(तीन) वह प्राधिकारी जिसने कि शासकीय सेवक को यथास्थिति ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो; या

(चार) जहां शासकीय सेवक, किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य होने के नाते या किसी अन्य स्थाई पद को मूलतः धारण करने के नाते, शासन के निरन्तर योजना में रहा हो, वहां वह प्राधिकारी, जिसने कि उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी ग्रेड में या उस पद पर नियुक्त किया हो;

से जो भी प्राधिकारी उच्चतम प्राधिकारी हो।

(ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) 'मध्यप्रदेश शासन के विभाग' से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी स्थापना या संगठन जो कि राज्यपाल द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश शासन का विभाग होना घोषित किया गया हो;

(घ) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो कि नियम 10 में उल्लिखित की गई शास्तियों में से कोई भी शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित करने के लिये सक्षम हो;

(ङ) 'शासन' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;

(च) 'शासकीय सेवक' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो—

(एक) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो या कोई सिविल पद धारण करता

---

* ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 जनवरी, 1967 में प्रकाशित हुये।

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 248/127/8/1/3/84 भोपाल, दिनांक 27 जून 1994

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त/ विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय:—विभागीय जांच का एक वर्ष की निर्धारित समयावधि में निपटारा—मुख्यमंत्रीजी की घोषणा.

संदर्भ:—विभागीय ज्ञापन क्रमांक सी/5-2-87/3/एक, दिनांक 16 अप्रैल 1987 एवं क्रमांक 486/एफ-708/49/3/90, दिनांक 22-23 अगस्त 1990.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापनों की ओर पुन: आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि इन ज्ञापनों में विभागीय जांचों के मामले में विभिन्न स्टेज पर कितना समय लगना चाहिए, इसकी एक सारणी संलग्न की गई थी.

2. शासन के उक्त ज्ञापन में बताई गई समय-सारणी के पालन नहीं हो रहा है. अत: निर्धारित सारणी पुन: संलग्न कर आपका ध्यान उक्त सारणी की ओर आकर्षिक कर निवेदन है कि कृपया अपने स्तर पर ऐसे अंतराल से जो आप उपयुक्त समझें आपके कार्यालय/विभाग से संबंधित विभागीय जांचों के लंबित मामलों की समीक्षाएं प्रारम्भ करें और यह प्रयास करें कि शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार विभागीय जांचों में प्रगति हो.

हस्ता/-
(शरद चन्द्र पण्ड्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 27 जून 1994

क्र. 249/1278/1/3/94
प्रतिलिपि:—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
   सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इन्दौर।
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन, भोपाल।
   सचिव विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल
4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.

5. महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर.
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव,स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवायलय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. मुख्य मंत्रीजी/उप मुख्य मंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित
10. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा-15, की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(शरद चन्द्र पण्डया)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

विभागीय जांच करने के प्रकरणों की प्रावस्थायें एवं उनमें लगने वाली समयावधि की सारणी

1.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती पर विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाना.	प्रकरण प्रस्तुति से एक सप्ताह
2.	आरोप पत्रादि जारी किये जाना	अधिकतम एक माह
3.	अपचारी से आरोप पत्र का उत्तर विहित समयावधि में प्राप्त करना (यह अवधि आरोप-पत्रादि प्राप्त होने की तिथि से कम से कम सात दिन पश्चात् की होगी)	सात दिन से एक माह
4.	अपचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर जांचकर्ता/प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी की नियुक्ति.	सात दिन से एक माह
5.	जांच प्राधिकारी द्वारा जांच करना एवं जांच प्रतिवेदन भेजना	
	(1) मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम छः माह
	(2) लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम तीन माह
6.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण एवं अनन्तिम (प्रस्तावित) या अंतिम शास्ति (लघु शास्ति पारित करने की स्थिति में) पारित करने का निर्णय लेना.	
	(1) मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम तीन माह
	(2) लघु शास्तियां अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हेतु	अधिकतम दो माह
7.	आयोग की मंत्रणा (मंत्रणा में लगने वाले समय को छोड़कर), जहां आवश्यक हो, प्राप्त होने के बाद मुख्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिए अंतिम आदेश पारित करना—	अधिकतम दो सप्ताह